रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 112] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 21, 2006/आषाढ़ 30, 1928
No. 112] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 21, 2006/ASADHA 30, 1928

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2006

सं. फा. 49-4/2006-राअशिप (मानदंड तथा मानक).—विभिन्न अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मानदंड और मानक तैयार किए गए हैं और उन्हें समय-समय पर अद्यतन बनाया गया है तथा ऐसे मानदंडों और मानकों का एक सैट पिछली बार विनियमों सहित दिनांक 13 नवम्बर, 2002 की अधिसूचना संख्या फा. 9-18/2002-राअशिप के रूप में 18 नवम्बर, 2002 को भारत के (असाधारण) राजपत्र में प्रख्यापित किया गया था ।

बाद में दिनांक 13 जनवरी, 2006 को प्रकाशित दिनांक 27-11-2005 की अधिसूचना संख्या 49-42/2005-राअशिप (मा. तथा मा.) के माध्यम से नए विनियम प्रख्यापित करते समय तथा नए मानदंड और मानकों को अंतिम रूप दिए जाने तक, विनियम 8(i) में उल्लिखित मौजूदा मानदंडों को दिनांक 13-11-2002 की अधिसूचना में 3 से 14 तक के संगत परिशिष्टों में यथोल्लिखित मौजूदा रूप में बनाए रखा गया ।

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

बी.एड. डिग्री (आमने-सामने) से संबंधित माध्यमिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम से संबंधित मानदंडों के संशोधन को, विभिन्न संबंधित स्रोतों से प्राप्त सुझावों और मौजूदा मानदंडों और मानकों से संबंधित कार्यात्मक कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से अंतिम रूप देने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।

अतः अब राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 (1993 का 73वां) के खंड 32 के उपखंड 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् निम्न विनियम बनाती है, यथाः-

1. लघु शीर्ष और प्रवर्तनः

(1) ये विनियम 'राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) (संशोधन) विनियम, 2006' कहलाएंगे।

2. प्रयोज्यता

(1) ये विनियम आमने-सामने माध्यम से बी.एड. डिग्री अथवा समतुल्य से संबंधित माध्यमिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मान्यता/अनुमति प्रदान किए जाने से संबंधित सभी मामलों में लागू होंगे।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

3. संशोधन की सीमा

(i) मानदंडों और मानकों का परिशिष्ट 7, जिसे राअशिप विनियम, 2002 द्वारा अधिसूचित किया गया था और जिसे राअशिप विनियम, 2005 में बनाए रखा गया था उसे इस संशोधन के परिशिष्ट - 1 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा और उसके एक अंग के रूप में पढ़ा जाएगा।

टिप्पणी :– पाठ्यक्रम में दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि के जिन मामलों में नए मानदंड दिनांक 27.12.2005 के विनियमों की अधिसूचना के बाद प्रकाशित किए गए हैं, उनमें उक्त विनियम के नियम 8 (3) तथा 8 (4) में निर्धारित शर्तें लागू नहीं होंगी

वी. सी. तिवारी, सदस्य-सचिव

[विज्ञापन III/IV/असा. 131/2006]

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

673

IndiaCode

परिशिष्ट - I

शिक्षा में स्नातक डिग्री (बी.एड.) से संबंधित माध्यमिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक

1.0 प्रस्तावना

माध्यमिक शिक्षा के लिए अध्यापक तत्परता पाठ्यक्रम जिसे आम तौर पर बी.एड. के रूप में जाना जाता है, एक ऐसा व्यावसायिक पाठ्यक्रम है जो कि उच्च प्राथमिक/मिडिल (कक्षाएं VI-VIII), माध्यमिक (कक्षाएं IX-X) तथा उच्च माध्यमिक (कक्षाएं XI-XII) स्तरों के लिए अध्यापक तैयार करता है।

2.0 अवधि और कार्यकारी दिवस

2.1 अवधि

बी.एड. कार्यक्रम की अवधि कम-से-कम एक शैक्षणिक वर्ष होगी।

2.2 कार्यकारी दिवस

परीक्षा और प्रवेश आदि की अवधि के अलावा कम-से-कम 200 कार्यकारी दिवस होंगे जिनमें से कम-से-कम 40 दिन उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर पर लगभग 10 स्कूलों में अभ्यास-अध्यापन के लिए होंगे। छह दिवसीय सप्ताह में एक कार्य दिवस कम-से-कम छह घंटे का होगा जिस दौरान संस्थान में अध्यापकों और छात्र-अध्यापकों की वास्तविक उपस्थिति जरूरी है ताकि जब कभी आवश्यक हो, वैयक्तिक सलाह, मार्गदर्शन, संवाद और परामर्श के लिए उनकी उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

3.0 दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या, पात्रता और प्रवेश क्रियाविधि

3.1 दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या

सहभागितापूर्ण शिक्षण और अधिगम को सुकर बनाने के लिए 100 छात्रों का एक यूनिट होगा जिसे सामान्य सत्रों के लिए 50-50 के दो सैक्शनों में बांट दिया जाएगा और कार्यक्रम के पद्धति पाठ्यक्रमों तथा अन्य प्रायोगिक क्रियाकलापों के लिए प्रत्येक स्कूल विषय के निमित्त प्रति अध्यापक अधिक-से-अधिक 25 छात्र होंगे।

3.2 पात्रता

3.2.1 कार्यक्रम में दाखिले के लिए स्नातक की डिग्री तथा/अथवा एम.ए. की डिग्री अथवा उसके समतुल्य किसी अन्य अर्हता में कम-से-कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे।

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

3.2.2 अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्ग समुदायों तथा केंद्रीय/संबंधित राज्य सरकार/संघशासित क्षेत्र प्रशासन के नियमों के अनुसार अन्य श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए अंकों में ढील/सीटों में आरक्षण की व्यवस्था होगी।

3.3 दाखिले की क्रियाविधि

अर्हक परीक्षा तथा/अथवा प्रवेश परीक्षा अथवा राज्य सरकार/संघशासित क्षेत्र प्रशासन तथा विश्वविद्यालय की नीति के अनुसार किसी अन्य चयन प्रक्रिया में प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यता-क्रम के अनुसार दाखिले किए जाएंगे।

4.0 स्टाफ

4.1 शैक्षणिक

4.1 क (i) संख्या (100 छात्रों की एक यूनिट के लिए)

प्रिंसीपल/अध्यक्ष - 1

लेक्चरर - 7

4.1 क (ii) दाखिल किए जाने वाले अतिरिक्त छात्र 100 के गुणकों में होंगे और पूर्णकालिक अध्यापक शिक्षकों की संख्या में, मूल यूनिट में प्रत्येक वृद्धि के साथ 7 की वृद्धि कर दी जाएगी।

4.1 क (iii) अध्यापकों की नियुक्ति इस प्रकार की जाएगी ताकि सभी आधारिक और प्रविधि पाठ्यक्रम पढ़ाने के लिए विशेषज्ञता सुनिश्चित की जा सके।

4.1 ख अर्हताएं

प्रिंसीपलः-

(i) शिक्षा में पीएच.डी.। किसी स्कूल विषय में कम-से-कम 50 प्रतिशत अंकों सहित एम.ए. की डिग्री तथा 55 प्रतिशत अंकों सहित एम.एड./एम.ए. (शिक्षा) तथा बी.एड.

अथवा

शिक्षा में पीएच.डी.। कम-से-कम 55 प्रतिशत अंकों सहित एम.एड./एम.ए. (शिक्षा) तथा बी.एड.

(ii) मांध्यमिक अध्यापक शिक्षा संस्थान में पांच वर्ष के शिक्षण सहित दस वर्ष का अध्यापन अनुभव।

25/4/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

675

IndiaCode

अध्यक्षः- (बहु-संकाय संस्थानों में)

(i) शिक्षा में पीएच.डी.। किसी स्कूल विषय में कम-से-कम 50 प्रतिशत अंकों सहित एम.ए. की डिग्री तथा 55 प्रतिशत अंकों सहित एम.एड./एम.ए. (शिक्षा) तथा बी.एड.।

अथवा

शिक्षा में पीएच.डी.। कम-से-कम 55 प्रतिशत अंकों सहित एम.एड./एम.ए. (शिक्षा) तथा बी.एड.

(ii) माध्यमिक अध्यापक शिक्षा संस्थान में पांच वर्ष के शिक्षण सहित सात वर्ष का अध्यापन अनुभव।

लेक्चररः-

(i) कम-से-कम 55 प्रतिशत अंकों सहित एम.एड./एम.ए. (शिक्षा) तथा बी.एड.

अथवा

किसी स्कूल विषय में कम-से-कम 50 प्रतिशत अंकों सहित एम.ए. की डिग्री तथा 55 प्रतिशत अंकों सहित एम.एड./एम.ए. (शिक्षा) तथा बी.एड.।

(ii) दो वर्ष का स्कूली शिक्षण अनुभव वांछनीय है।

टिप्पणीः-

(i) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों/अन्य श्रेणियों के लिए केंद्रीय/संबंधित राज्य सरकार/संघशासित क्षेत्र प्रशासन के नियमों के अनुसार न्यूनतम प्रतिशत अंकों में ढील की व्यवस्था होगी।

(ii) लेक्चरर के लिए ऊपर निर्धारित अर्हता के अलावा अभ्यर्थियों को नेट/स्लैट परीक्षा अथवा यूजीसी द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित वैकल्पिक परीक्षा शैक्षणिक सत्र 2009-2010 के शुरू होने से पूर्व पास करनी होगी।

(iii) पात्रता के उपर्युक्त मानदंडों के अनुसार प्रिंसीपल की नियुक्ति के लिए पात्र और उपयुक्त उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने की स्थिति में, शिक्षा में सेवानिवृत्त

2234 GI/2006-2

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

676

प्रोफेसर/रीडर की सेवानिवृत्ति के पश्चात् 65 वर्ष की संविदा सेवा पूरी कर लेने तक, एक समय में अधिक-से-अधिक एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर नियुक्ति की जा सकेगी।

4.2 तकनीकी सहयोगी स्टाफ

(क) संख्या

पूर्णकालिक अध्यापक

(i) कला शिक्षा
(ii) स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा
(iii) कार्य अनुभव
(iv) आई सी टी

} अपर्याप्त काम होने की स्थिति में इन पदों पर अंशकालिक अध्यापकों की नियुक्ति की जा सकती है।

(v) पुस्तकालयाध्यक्ष - पूर्णकालिक
(vi) तकनीकी सहायक - पूर्णकालिक

(ख) **अर्हताएं** - संबंधन प्रदान करने वाले संबंधित विश्वविद्यालय/यूजीसी द्वारा यथा-निर्धारित।

IndiaCode

4.3 प्रशासनिक स्टाफ

(क) संख्या

(i) कार्यालय-एवं-लेखा सहायक - 1 (नियमित)
(ii) कार्यालय सहायक-एवं टंकक - 1 (नियमित)
(iii) स्टोर-कीपर - 1 (नियमित)
(iv) परिचर/सहायक/सहयोगी स्टाफ - 2 (नियमित)

(ख) **अर्हताएं** - संबंधित राज्य सरकार/संबंधन प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय द्वारा यथानिर्धारित।

4.4 **सेवा की शर्तें और उपबंध**

(क) नियुक्ति, यूजीसी/संबंधन प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय की नीति के अनुसार गठित चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाएगी।

(ख) ऐसे पदों को छोड़कर, जिन पर इन विनियमों के अधीन अंशकालिक आधार पर भर्ती किए जाने की अनुमति है, सभी नियुक्तियां पूर्णकालिक तथा नियमित आधार पर की जाएंगी।

677

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54.

(ग) अंशकालिक अध्यापकों तथा अन्य सहयोगी स्टाफ की नियुक्ति संबंधित विश्वविद्यालय/यूजीसी के मानदंडों के अनुसार की जाएगी।

(घ) संस्थानों के शैक्षणिक स्टाफ (अंशकालिक स्टाफ सहित) को वेतन का भुगतान, यूजीसी/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर यथा-निर्धारित वेतनमान में अथवा इस प्रयोजन के लिए कर्मचारी के विशेष रूप से खोले गए बैंक खाते की सूचना के अनुसार आदाता को देय चैक के माध्यम से किया जाएगा। सहयोगी स्टाफ को वेतन का भुगतान यूजीसी/राज्य सरकार/केंद्रीय सरकार के वेतनमान ढांचे के अनुसार किया जाएगा।

(ङ) अपने कर्मचारियों के लिए पेंशन, उपदान, भविष्य निधि आदि से संबंधित सांविधिक दायित्वों का निर्वाह संस्थान के प्रबंधक वर्ग द्वारा किया जाएगा।

(च) स्टाफ की अधिवार्षिकी की आयु, जिस राज्य में संस्थान स्थित है उसमें लागू सरकार की नीति द्वारा निर्धारित की जाएगी।

5.0 सुविधाएं

5.1 आधारिक तंत्र

5.1.1 संस्थान के पास कम-से-कम 2500 वर्ग मीटर भूमि होनी चाहिए जिसमें से क्लास-रूमों आदि सहित कम-से-कम 1500 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र होना चाहिए। प्रत्येक शिक्षण कक्ष में प्रत्येक छात्र के लिए 10 वर्ग फुट स्थान होना चाहिए।

5.1.2 दाखिल किए जाने वाले 100 छात्रों की अनुमोदित संख्या के लिए कम-से-कम दो क्लास-रूमों, एक बहुद्देशीय हॉल, अनुदेशात्मक क्रियाकलाप करने के लिए तीन प्रयोगशालाओं, संगोष्ठी/ट्यूटोरियल कक्षों, विकलांगों की शिक्षा के लिए एक संसाधन कक्ष, प्रिंसीपल, संकाय सदस्यों, कार्यालय और प्रशासनिक स्टाफ के लिए अलग-अलग कमरों और एक स्टोर की व्यवस्था होनी चाहिए। क्लास-रूमों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय आदि जैसे प्रत्येक शिक्षण कमरे में प्रत्येक छात्र के लिए कम-से-कम 10 वर्ग फुट स्थान होना चाहिए। एक क्लास-रूम में 50 छात्र-अध्यापकों के आराम से बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। बहूद्देशीय हॉल में 150 व्यक्तियों के बैठने की सुविधा होनी चाहिए। दाखिल किए जाने वाले अतिरिक्त छात्रों के लिए क्लास-रूमों, ट्यूटोरियल कक्षों आदि की संख्या में तद्नुरूपी वृद्धि की जाएगी।

25/4/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

IndiaCode

5.1.3 खेल के मैदान सहित खेल-कूद की सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। विकल्प के रूप में संबद्ध स्कूल/कॉलेज के खेल के मैदान का प्रयोग किया जा सकता है और जहां महानगरों/पहाड़ी क्षेत्रों में स्थान की कमी हो वहां योग, छोटे मैदान तथा इनडोर खेलों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं।

5.1.4 भवन के सभी भागों में आग के जोखिम से बचाव के लिए सुरक्षोपाय होने चाहिए।

5.1.5 संस्थान का परिसर, भवन, फर्नीचर आदि बाधामुक्त होने चाहिए।

5.2 शिक्षणात्मक

(क) संस्थान के पास छात्र-अध्यापकों के क्षेत्रीय कार्य तथा अभ्यास-शिक्षण संबंधी क्रियाकलापों के निमित्त समुचित दूरी के भीतर पर्याप्त संख्या में मान्यताप्राप्त माध्यमिक स्कूल सुलभ होने चाहिए। इस तरह के स्कूलों की एक सूची तैयार की जाएगी। बेहतर होगा यदि संस्थान के पास उसके नियंत्रण में एक संबद्ध स्कूल मौजूद हो।

(ख) कम-से-कम 25 प्रतिशत छात्रों के बैठने की सुविधा सहित एक ऐसा पुस्तकालय-एवं-वाचनालय होगा जिसमें अध्ययन के पाठ्यक्रम के लिए संगत पाठ्य तथा संदर्भ पुस्तकों, शैक्षिक विश्वकोशों, अब्दकोशों, इलैक्ट्रिक प्रकाशनों (सीडी रोम) सहित कम-से-कम 3000 पुस्तकें और अध्यापक शिक्षा की कम-से-कम पांच पत्रिकाएं तथा संबद्ध विषयों में अन्य पांच पत्रिकाएं मंगाएंगे। पुस्तकालय के संग्रह में प्रतिवर्ष 200 पुस्तकें शामिल की जाएंगी। पुस्तकालय में संकाय और छात्र-अध्यापकों के प्रयोग के लिए फोटोकॉपी सुविधा और इंटरनेट सुविधा सहित कंप्यूटर उपलब्ध कराए जाएंगे।

(ग) संस्थान में एक विज्ञान प्रयोगशाला होगी। इस प्रयोगशाला में माध्यमिक/उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम में निर्धारित प्रयोग करने और उनका निदर्शन करने के लिए आवश्यक विज्ञान उपकरणों के एकाधिक सैट उपलब्ध होंगे। समुचित मात्रा में रसायन आदि उपलब्ध कराए जाएंगे।

Attested
25/4/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

679

(घ) संस्थान में शैक्षिक मनोविज्ञान से जुड़े साधारण प्रयोग करने के लिए उपकरण सहित एक मनोविज्ञान प्रयोगशाला होगी।

(ङ) भाषा सीखने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सुविधाएं रहेंगी।

(च) कंप्यूटरों, टीवी, कैमरा सहित हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से युक्त शैक्षिक प्रौद्योगिकी सुविधाएं होंगी।

(छ) बेहतर हो कि **रौट** (रिसीव्ड ओनली टर्मिनल) **सिट** (सैटेलाइट इंटरलिंकिंग टर्मिनल) आदि जैसे आईसीटी उपकरण उपलब्ध रहें।

(ज) एक पूर्णतः सुसज्जित कार्य-अनुभव कक्ष होगा।

5.3 साधन

5.3.1 शिक्षणात्मक तथा अन्य प्रयोजनों के लिए अपेक्षित संख्या में कार्यात्मक और उपयुक्त फर्नीचर की व्यवस्था की जाएगी।

5.3.2 संस्थान द्वारा पुरुष/महिला स्टाफ/छात्रों के लिए अलग-अलग कॉमन रूम उपलब्ध कराए जाएंगे।

5.3.3 संस्थान में सुरक्षित पेय जल उपलब्ध कराया जाएगा।

5.3.4 स्टाफ और छात्रों के लिए समुचित संख्या में पुरुष और महिला शौचालय उपलब्ध कराए जाएंगे।

5.3.5 कैन्टीन, टेलीफोन सुविधा, वाहन खड़े करने के लिए व्यवस्था की जाएगी।

5.3.6 परिसर, पानी और शौचालय सुविधाओं की नियमित सफाई के कारगर इंतजाम किए जाएंगे। फर्नीचर तथा अन्य उपकरणों की आवश्यक मरम्मत और भरपाई की जाएगी।

सामान्य

यदि एक ही संस्थान द्वारा एक ही अथवा निकटस्थ भवन में अध्यापक शिक्षा में एक से अधिक पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं तो खेल के मैदान, बहूद्देशीय हॉल, पुस्तकालय और प्रयोगशाला (पुस्तकों और उपकरणों की आनुपातिक वृद्धि सहित) तथा शिक्षणात्मक स्थान संबंधी सुविधाओं का साझा प्रयोग किया जा सकता है।

2234 G/2006-3

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

680

IndiaCode

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th July, 2006

No. F. 49-4/2006-NCTE(N&S).—Norms and Standards for various teacher education programmes have been prescribed and updated by the National Council for Teacher Education from time to time and a set of such norms & standards was last promulgated alongwith Regulations vide notification No.F.9-18/2002-NCTE dated 13th November, 2002; published in the Gazette of India Extra-Ordinary on 18th November, 2002.

Subsequently while promulgating new Regulations vide notification No. 49-42/2005-NCTE (N&S) dated 27.12.2005, published on 13th January, 2006 and pending finalization of new norms & standards, the existing norms as mentioned in Regulations 8(i) were retained with the new regulations in their existing form of the notification dated 13.11.2002 as contained in relevant appendices 3 to 14.

The process of finalization of norms relating to the revision of secondary teacher education programme leading to B.Ed. degree (face-to-face) has since been completed keeping in view the suggestions received from various quarters concerned and to remove the functional difficulties in the existing norms and standards.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section 2 of Section 32 of the National Council for Teacher Education Act, 1993 (73 of 1993), the National Council for Teacher Education hereby makes the following regulations, namely: -

1. Short Title and Commencement:

(1) These regulations may be called the "National Council for Teacher Education (Recognition Norms & Procedure) (Amendment) Regulations, 2006."

2. Applicability

(1) These regulations shall be applicable to all matters pertaining to grant of recognition/permission to conduct a secondary teacher education programme in face to face mode leading to B.Ed degree or equivalent.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

681

3. **Extent of Amendment**

The appendix – 7 of the norms and standards which was notified by NCTE Regulations, 2002 and retained in the NCTE Regulations, 2005 shall be replaced by the appendix – 1 to this amendment and be read as part thereof.

Note: - For enhancement of intake in the course where new norms have been published after notification of the Regulations dated 27.12.2005, the conditions prescribed in Rule 8(3) and 8(4) of the said Regulation shall not be applicable.

V. C. TEWARI, Member-Secy.

[ADVT III/IV/Exty./131/2006]

Appendix-1

Norms and Standards for Secondary Teacher Education Programme leading to Bachelor of Education (B.Ed.) Degree

IndiaCode

1.0 Preamble

Teacher preparation course for secondary education, generally known as B.Ed., is a professional course that prepares teachers for upper primary/middle level (classes VI-VIII), secondary (classes IX-X) and senior secondary (classes XI-XII) levels.

2.0 Duration and working days

2.1 Duration

B.Ed. programme shall be of a duration of at least one academic year.

2.2 Working Days

There shall be at least 200 working days exclusive of period of examination and admission etc., out of which at least 40 days shall be for practice-teaching in about ten schools at upper primary/ secondary/senior secondary level. A working day shall be of a minimum of 6 hours in a six-day week, during which physical presence in the institution of teachers and student-teachers is necessary to ensure their availability for individual advice, guidance, dialogues and consultation as and when needed.

3.0 Intake, Eligibility and Admission Procedure

3.1 Intake

There shall be a unit of 100 students divided into two sections of 50 each for general sessions and not more than 25 students per teacher for a school subject for methods courses and other practical activities of the programme to facilitate participatory teaching and learning.

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

682

3.2 Eligibility

3.2.1 Candidates with at least 50% marks either in the Bachelor's Degree and/or in the Master's degree or any other qualification equivalent thereto, are eligible for admission to the programme.

3.2.2. There shall be relaxation of marks/reservation of seats for candidates belonging to SC/ST/OBC communities and other categories as per the Rules of the Central/State Government/UT Administration concerned.

3.3 Admission Procedure

Admission shall be made on merit on the basis of marks obtained in the qualifying examination and/or in the entrance examination or any other selection process as per the policy of the State Government/U.T. Administration and the University.

4.0 Staff

4.1 Academic

4.1 a (i) Number (for 1 unit of 100 students)

Principal/Head - 1

Lecturers - 7

4.1 a. (ii) Additional intake will be in the multiple of 100 and the number of full time teacher educators shall be increased by seven for each increase in the basic unit.

4.1.a. (iii) Appointment of teachers shall be such as to ensure the availability of expertise for teaching all foundation and methodology courses.

4.1.b. Qualifications

Principal :-

(i) Ph.D. in Education. Master's degree in a school subject with minimum 50% marks and M.Ed / M.A. (Education) with 55% marks and B.Ed.

OR

Ph.D. in Education. M.Ed / M.A. (Education) with minimum 55% marks and B.Ed.

(ii) 10 years' experience of teaching including five years' teaching in a secondary teacher education institution.

Head: - (In a multi faculty institutions)

(i) Ph.D. in Education. Master's degree in a school subject with minimum 50% marks and M.Ed / M.A. (Education) with 55% marks and B.Ed.

OR

Ph.D. in Education. M.Ed / M.A. (Education) with minimum 55% marks and B.Ed.

683

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

(ii) 7 years' experience of teaching including five years' teaching in a secondary teacher education institution.

Lecturer :-

(i) M.Ed / M.A. (Education) with minimum 55% marks and B.Ed.

OR

Master's degree in a school subject with minimum 50% marks and M.Ed / M.A. (Education) with 55% marks and B.Ed.

(ii) Two years' school teaching experience is desirable.

Note:-

(i) There shall be relaxation in minimum percentage of marks for SC/ST/OBC/Other categories as per the rules of the Central Government/ concerned State Government/UT Administration.

(ii) Apart from the qualification prescribed above for lecturer, the candidates shall have to qualify NET/SLET qualifications or alternative qualifications thereto as prescribed by UGC from time to time before the commencement of the academic session 2009-2010.

(iii) In the event of non-availability of eligible and suitable candidates for appointment as Principal as per above eligibility criteria it would be permissible to appoint retired Professor/Readers in Education on contract basis for a period not exceeding one year at a time till such time the candidates complete 65 years of post-retirement contract service.

4.2 **Technical Support Staff**

(a) **Number**

Full time Teachers

(i) Art Education
(ii) Health and Physical Education
(iii) Work Experience
(iv) ICT

} In the event of inadequate work it would be permissible to appoint part time teachers against

(v) Librarian - Full Time
(vi) Technical Assistant - Full Time

(b) **Qualifications** – as prescribed by concerned affiliating university/UGC.

2234 GI/2006-4

Attested
25/4/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

4.3. Administrative staff

(a) Number

(i) Office-cum-Account Assistant	-	1 (Regular)
(ii) Office Assistant-cum Typist	-	1 (Regular)
(iii) Store-Keeper	-	1(Regular)
(iv) Attendants/Helpers/Support staff	-	2 (Regular)

(b) Qualifications- as prescribed by concerned State Government/affiliating University.

4.4 Terms and conditions of service

(a) The appointment shall be made on the basis of recommendations of the Selection Committee constituted as per the policy of the UGC/Affiliating University.

(b) All appointments are to be made on full-time and regular basis excepting the appointment against these posts permitted to be filled up on part time basis, under these regulations.

(c) Appointment of part-time teachers and other supporting staff shall be made as per norms of the concerned University/UGC.

(d) The academic staff of the institutions (including part-time staff) shall be paid such salary in such scale of pay as may be prescribed by the UGC/University from time to time, through account payee cheque or as per advice into the bank account of employee specially opened for the purpose. The supporting staff shall be paid as per the UGC/State Government/Central Government pay scale structure.

(e) The management of the institution shall discharge the statutory duties relating to pension, gratuity, provident fund, etc. for its employees.

(f) The age of superannuation of staff shall be determined by the policy of Government concerned as applicable in the State in which the institution is located.

25/4/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

685

5.0 **Facilities**

5.1 Infrastructure

5.1.1 The institution must have at least 2500 sq. mts. land whereupon built-in area consisting of classrooms etc. shall not be less than 1500 sq. mts. Space in each instructional room shall be 10 sq.ft. per student.

5.1.2. There shall be provision for not less than two classrooms, one multipurpose hall, three laboratories for conducting instructional activities for approved intake of 100 students, seminar/tutorial rooms, resource room for the education of handicapped, separate rooms for the Principal, for the faculty members, for the office and the administrative staff and a store. In every instructional room like classrooms, laboratories, library etc. space shall not be less than 10 sq.ft. per student. One classroom shall comfortably accommodate 50 student teachers. The Multi-purpose Hall shall have a seating capacity for 150 persons. For additional intake proportional increase in the number of classrooms, tutorial rooms, etc.

5.1.3 There shall be games facilities with a playground. Alternatively, the playground available with the attached school/college may be utilized and where there is scarcity of space as in the metropolitan towns/hilly regions, facilities for yoga, small court and indoor games may be provided.

5.1.4 Safeguard against fire hazard be provided in all parts of the building.

5.1.5 The institution campus, buildings, furniture etc. should be barrier free.

5.2. Instructional

(a) The institution shall have easy access to sufficient number of recognized secondary schools within reasonable distance for field work and practice teaching related activities of the student teachers. A list of such schools shall be prepared. It is desirable that the institution has an attached school under its control.

(b) There shall be a library-cum-reading room with seating capacity for at least 25% students equipped with minimum 3000 titles including text and reference books relevant to the course of study, educational encyclopedias, year books, electronic publications (CD Roms) and minimum five journals of teacher education and subscription to five others in related disciplines. The library holdings shall be augmented with addition of 200 titles annually. The library shall have photocopying facility and computer with internet facility for the use of faculty and student- teachers.

Attested

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

686

(c) There shall be a science laboratory. The laboratory shall have multiple sets of science apparatus required to perform and demonstrate the experiments prescribed in the syllabus for secondary/senior secondary classes. Chemicals, etc. should be provided in the required quantity.

(d) There shall be a Psychology Laboratory with apparatus for simple experiments related to educational psychology.

(e) There shall be hardware and software facilities for language learning.

(f) There shall be Educational Technology facilities with hardware and software including computers, TV, Camera.

(g) The ICT equipment like ROT (Received Only Terminal), SIT (Satellite Interlinking Terminal) etc. shall be desirable.

(h) There shall be fully furnished work experience room.

5.3. **Amenities**

5.3.1 Functional and appropriate furniture for the purpose in required number shall be provided for instructional and other purposes.

5.3.2 The institution shall provide common rooms separately for male/female staff/students

5.3.3 Safe drinking water be provided in the institution.

5.3.4 Sufficient number of toilets, separate for Male and Female, shall be made available to staff and students

5.3.5 Arrangement shall be made for a canteen, telephone facility and parking of vehicles.

5.3.6 Effective arrangements shall be made for regular cleaning of the campus, water and toilet facilities. Necessary repairs and replenishment of furniture and other equipments.

General

If more than one courses in teacher education are run by the same institution in the same or adjacent building, the facilities of playground, multipurpose hall, library and laboratory (with proportionate addition of books and equipments) and instructional space can be shared.

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

687

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2006

सं. फा. 49-42/2005-एन.सी.टी.ई. (एन और एम).—मान्यता प्रदान करने के मान्य मानदंड और क्रियाविधि निर्धारित करने वाले मानदंड राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा 17 दिसम्बर, 2005 को प्रख्यापित किए गए और 13 जनवरी, 2006 को अधिसूचित किए गए। इन विनियमों के प्रचालन को सुविधाजनक बनाने और इनमें निहित कार्यात्मक कठिनाइयों के उन्मूलन के निमित्त संशोधनों के लिए सुझाव प्राप्त हुए हैं।

अतः अब राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम 1993 की धारा 32 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् एतद्द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मानक और क्रियाविधि को मान्यता) विनियम, 2005 से और आगे संशोधित करने के लिए निम्न विनियम बनाती है, यथाः-

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रवर्तन**

(1) इन विनियमों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) (संशोधन) विनियम 2006 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **संशोधन का विस्तार**

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मानक और क्रियाविधि को मान्यता) विनियम, 2005 के खंडों 7(6), 7(10) और 8(6) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगाः

7(6) सभी आवेदनकर्ता संस्थान अपने आवेदन पत्र की प्रस्तुति के साथ-साथ अपनी वेबसाइट शुरू करेंगे जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ संस्था के ब्यौरे, इसका स्थान, उस पाठ्यक्रम का नाम व दाखिला क्षमता जिसके लिए आवेदन किया गया है, भौतिक आधारभूत सुविधाओं (भूखंड, भवन, कार्यालय, कक्षा-कक्षों तथा अन्य सुविधाओं/ प्रस्थापनों) की उपलब्धता, शैक्षिक सुविधाएं (प्रयोगशाला, पुस्तकालय आदि) की

2234 GI/2006-5

Attested
25/4/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

688

IndiaCode

उपलब्धता संबंधी ब्यौरे और उनके प्रस्तावित शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर स्टाफ आदि के विवरण, फोटोग्राफों के साथ संबंधितों को सूचनार्थ उपलब्ध कराएं।

7(10) मान्यता प्रदान करने के मामले में, क्षेत्रीय समितियों राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम 1993, समय-समय पर यथासंशोधित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् नियमावली 1997 तथा विभिन्न अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए मानदंडों और मानकों सहित विनियमों की सीमा के भीतर कठोरता से कार्रवाई करेगी और उनके संबंध में किसी तरह की ढील नहीं बरतेगी। क्षेत्रीय समिति के संयोजक के रूप में क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय समिति को प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि विभिन्न शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए मानकों तथा स्तरों सहित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, नियमावली व विनियमों को क्षेत्रीय समिति के ध्यान में लाया गया है ताकि क्षेत्रीय समिति उपयुक्त निर्णय लेने में समर्थ हो सके।

8(6) संस्थान/सोसायटी नोटरी पब्लिक द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित 100 रुपए के स्टांप पेपर पर एक शपथनामा प्रस्तुत करेगा जिनमें इन बातों का उल्लेख होगाः भूमि का वास्तविक स्थान (गांव, जिला, राज्य आदि) कब्जे में कुल क्षेत्र और भूखंड का शैक्षिक प्रयोजनों हेतु प्रयोग करने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति, कब्जे का तरीका अर्थात मालिकाना या पट्टा।

वी. सी. तिवारी, सदस्य-सचिव

[विज्ञापन III/IV/असा./131/2006]

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th July, 2006

No. F. 49-42/2005-NCTE(N&S).—Regulations laying down the Recognition Norms and Procedure for grant of recognition were promulgated by the National Council for Teacher Education on 27th December, 2005, notified on 13th January, 2006. Suggestions have been received for amendment to the regulations to facilitate their operation and for removal of functional difficulties from the same.

25/4/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

689

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under section32 (2) of the NCTE Act, 1993, the National Council for Teacher Education hereby makes the following regulations to amend further the National Council for Teacher Education (Recognition Norms & Procedure) Regulations, 2005., namely:-

1. Short Title and Commencement

(1) These Regulations may be called the National Council for Teacher Education (Recognition Norms & Procedure) (amendment) Regulations, 2006.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Extent of Amendment

The clauses 7(6) , 7(10) and 8(6) of the National Council for Teacher Education (Recognition Norms & Procedure) Regulations, 2005 shall be substituted by the following:

(i) 7(6) All the applicant institutions shall launch their own website simultaneously with the submission of their applications covering, inter alia, the details of the institution, its location, name of the course applied for with intake, availability of physical infrastructure (land, building, office, classrooms, and other facilities/amenities), instructional facilities (laboratory, library etc.) and the particulars of their proposed teaching and non-teaching staff etc. with photographs for information of all concerned.

(ii) 7(10) In the matter of grant of recognition, the Regional Committees shall strictly act within the ambit of the National Council for Teacher Education Act, 1993, the National Council for Teacher Education Rules, 1997 as amended from time to time and the regulations including the norms and standards for various teacher education programmes and shall not make any relaxation thereto. The Regional Director, who is the convener of the Regional Committee, while putting up the proposals to the Regional Committee, shall be responsible for ensuring that the provisions in the NCTE Act, Rules and Regulations including Norms and Standards for various Teacher Education Programmes have been brought to the notice of the Regional Committee to enable the Regional Committee to take appropriate decisions.

(iii) 8(6) The institution/society shall furnish an affidavit on Rs. 100 stamp paper duly attested by Notary Public stating the precise location of the land (village, district, state etc.), the total area in possession and the permission of the competent authority to use the land for educational purposes, mode of possession i.e. ownership or lease.

V. C. TEWARI, Member-Secy.

[ADVT III/IV/Exty./131/2006]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Attested 4/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सेंट्रल लाइन्स, दिल्ली-54

690